न्यायालय श्रीमान .... राजस्व मंडल ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

निगरानी 4211-III-14

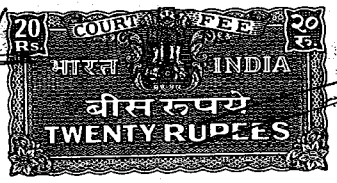

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

835
2-12-14

फुल्ली साहू पुत्री बंशरूप साहू निवासी ग्राम अमहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.) —————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. नानक राम सोनी तनय हीरालाल सोनी निवासी ग्राम टी.सी.पी.सी कोटहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
2. कोमल चन्द्र गुप्ता मानिक लाल गुप्ता निवासी ग्राम सब्जी मंडी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
3. हुब्ब लाल साहू उर्फ हुब्बा साहू द्वारा मुख्तार आम राजेन्द्र प्रसाद साहू
4. लखन लाल साहू तनय सुखलाल साहू
5. बंशपति साहू तनय शिवचरण साहू
6. परमेश्वर साहू तनय शिवचरण साहू

सभी निवासी ग्राम अमहा तहसील गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी (म.प्र.) ——अनावेदक / रेस्पाडेन्ट

श्री .... द्वारा आज दिनांक 2-12-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3890
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्रेषित
6-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क्रमांक १३८/अ-६/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ३०.१०.१४

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक 379/1 रकवा 0.270, 383/1 रकवा 0.032, स्थित ग्राम अमहा तहसील गोपदबनास जिला सीधी के साथ साथ कुछ अन्य भूमियां आवेदिका निगरानीकर्ता एवं अनावेदक क्र.3 ता 6 के सह भूमि स्वामित्व व कब्ज दखल की भूमियां थी जिसका अनावेदक क्र.6 एवं 3 अन्य व्यक्तियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुझ आवेदक / आपत्तिकर्तागणों के बिना पक्षकार बनाये बटनवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से पुल्ली तलव कर प्रकरण 112/अ–27/10–11 पंजीबद्ध कर दिनांक 29.10.2011 को आदेश प्रसारित कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4211–तीन/2014 **जिला–सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री कामता प्रसाद गुप्ता अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि भूमि कमांक–379/1 रकवा 0.270 है0 383 रकवा 0.032 है0 आवेदिका एवं अनावेदक कमांक–3 से 6 तक के सह भूमिस्वामित्व की थी । जिनका वटवारा कराये जाने हेतु अनावेदक कमांक–6 व 3 तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदिका को बिना पक्षकार बनाए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से बटवारा पुल्ली बनवाकर आदेश दिनांक–29.10.2011 से आवेदिका को बिना सुनवाई का अवसर दिए व बिना सूचना दिए नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । इसी दौरान अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहते अनावेदक हुब्बलाल द्वारा सहखाते की भूमियों को अनावेदक कमांक–1 एवं 2 को विकय कर दिया गया । आनावेदिका के अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया उक्त विकय पत्रो को शून्य घोषित कराये जाने हेतु सिविल न्यायालय में बाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त वहीं तथ्य अंकित किए जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु विचार में लिया जा रहा है । आवेदक अभि0 द्वारा निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । प्रस्तुत तर्को के संबंध में निगरानी मेमों के संलग्न विवादित आदेश दिनांक–30.10.14 का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है आदेश को अवलोकन से आपत्ति आवेदन	

R.4211/DJ/14

का निराकरण अंतिम आदेश के साथ पारित करने का उल्लेख किया किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक–30.10.14 से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की संभावना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का भी पर्याप्त अवसर प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर संहिता में निहित प्रावधानों के तहत विधि सम्मत निर्णय पारित करें । यह प्रकरण इसी निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य